



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1942 (श०)

(सं० पटना 591) पटना, शुक्रवार, 18 सितम्बर 2020

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

14 सितम्बर 2020

सं०-प्र०-01-ल०ख०(ब्रि०)-42/20-2645/एम०—खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (1) यह नियमावली बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अध्याय-VIII नियम-38 (3) में संशोधन।—उक्त नियमावली में अध्याय-VIII के नियम-38 के उपनियम (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“38(3) ईट मिट्टी के लिए खनन क्रिया परमिट दिया जाना—किसी आवेदक द्वारा खनन पदाधिकारी को आवेदन दिए जाने और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उत्सर्जन सहमति आदेश तथा इस नियमावली की अनुसूची-III ‘ख’ के अनुसार रॉयलिटी की समेकित राशि के साथ साथ इस नियमावली के नियम 34 में यथा विहित अपेक्षित दस्तावेजों को सुपूर्द करने पर वे अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर किसी विनिर्दिष्ट भूमि से किसी विशिष्ट ईट मौसम के लिए किसी ईट भट्टा के संबंध में उत्खनन एवं ईट मिट्टी हटाने के लिए प्रपत्र ‘घ’ में खनन क्रिया परमिट दे सकेगा।

परंतु ईट भट्टा के उद्देश्य से ईट मिट्टी के उत्खनन को खनन गतिविधि नहीं मानी जाएगी, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, यदि खनन की गहराई समीपवर्ती जमीन स्तर से डेढ़ मीटर से अधिक नहीं हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

The 14th September 2020

No. A.N.-01/L.K.(Brick)-42/20-2645/M—In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines & Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules to amend the Bihar Minerals (Concession, Prevention Of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019.

1. *Short title, extent and commencement* .—

- (1) These Rules may be called Bihar Minerals (Concession, Prevention Of Illegal Mining, Transportation & Storage) (Amendment) Rules, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in Chapter-VIII, Rule-38 (3) of Bihar Minerals (Concession, Prevention Of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019:- Sub-rule (3) of Rule-38 of Chapter-VIII of said Rules, 2019 shall be substituted by the following:-*

"38 (3) On an application made to the Mining Officer by an applicant and on submission of the required documents as prescribed in Rule 34 of these rules along with No Objection Certificate and Emission consent order from the Bihar State Pollution control Board and the consolidated amount of royalty as per Schedule III B of the rules, He/She shall grant a quarrying permit in form 'D' for extraction and removal of brick earth in respect of any brick kiln for a particular brick season from any specified land within the limit of his/her jurisdiction.

Provided that the quarrying for the purpose of brick kiln shall be deemed as non-mining activity for the purpose of environmental clearance and shall not require Environmental Clearance if the depth of quarry is not more than one and half meters from the adjoining ground level."

By order of the Governor of Bihar,
SUSHIL KUMAR,
Under Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 591-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>